

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय धरमपुरी, जिला-धार मध्यप्रदेश

दूरभाष एवं फेक्स न. 07291-264384 E-mail hegcdhardha@mp.gov.in

क्रमांक/949 /ग्रंथालय/2022

धरमपुरी दिनांक 07/09/2022

## निविदा विज्ञप्ति


शासकीय महाविद्यालय धरमपुरी जिला-धार में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल के द्वारा वर्ष 2022-23 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों हेतु स्टेशनरी प्रदान की जाना है। निविदा निम्नानुसार है:-


क्र.	स्टेशनरी सामग्री का नाम	दर प्रति नग जी. एस.टी. सहित	रिमार्क
1	2	3	4
1	लांग कॉपी लेमिनेटेड कवर 58 GSM 'A' grade 140 Page (साईज 21x29 CM)		
2	लांग कॉपी लेमिनेटेड कवर 58 GSM 'A' grade 180 Page (साईज 21x29 CM)		
3	स्टेपलर (10 No. With 1 pin packet)		
4	लीड पेन मोन्टेक्स मेगा टॉप/फ्लेयर मिस्टर ग्रिप लीड पेन		
5	प्लास्टिक फोल्डर (फुल स्कैप 12 लीफ)		
6	स्केल 12 इन्च		
7	पेंसिल (अप्सरा)		
8	रबर (अप्सरा)		
9	शॉपनर (अप्सरा)		

निविदा विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित तिथि से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत की जायें। कोई भी फर्म निविदा डाक द्वारा या स्वयं कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शासकीय महाविद्यालय धरमपुरी जिला धार मध्यप्रदेश में प्रस्तुत कर सकता है। सील बंद लिफाफे में भाव पत्रक प्रस्तुत करें। शर्त निम्नानुसार रहेगी।

- 01- निविदा बंद लिफाफे में होना चाहिए, जिसके ऊपर स्पष्ट लिखें- निःशुल्क स्टेशनरी सामग्री वर्ष 2022-23 हेतु भाव पत्र।
- 02- कय की जाने वाली स्टेशनरी की राशि रू. 500/- प्रति विद्यार्थी है, अतः निविदाकार के द्वारा स्पष्ट मदो का उल्लेख करते हुए पृथक - पृथक सामग्री की राशि निविदा में अंकित करें। एवं सामग्री की राशि के साथ जी.एस.टी. राशि का उल्लेख करते हुए भाव पत्र में जोड़ कर देवें।
- 03- निविदाकार वाणिज्य नियमों का पालन करते हुए टीन नम्बर इत्यादि की औपचारिकता पूर्ण करें।
- 04- निविदा के साथ स्टेशनरी सामग्री का नमुना साथ में होना अनिवार्य है, कय समिति द्वारा नमुने का अवलोकन कर निविदा पास की जावेगी। तथा बगैर नमुने के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। नमुना बन्द पैकेट में फर्म का नाम व पता लिख कर भेजना होगा।

- 05- यदि किसी स्टेशनरी सामग्री पर कंपनी द्वारा कोई फ्री सामग्री दी जाती है तो उसे स्टेशनरी सामग्री के साथ देना होगा।
- 06- स्टेशनरी सामग्री कय पर एफ.ओ.आर. शासकीय महाविद्यालय धरमपुरी ग्राम गुलाटी जिला धार मध्यप्रदेश देना अनिवार्य होगा। एफ.ओ.आर. धरमपुरी नवीन भवन ग्राम गुलाटी नहीं देने पर कय आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। ट्रांसपोर्ट द्वारा सामग्री के बण्डल धरमपुरी में उतारे जाते है, धरमपुरी से ग्राम गुलाटी तक सामग्री लाने पर टेम्पु भाड़ा एवं स्थानिय हम्मालों की हम्माली स्वयं विक्रेता वहन करेगा। जिसका उल्लेख निविदा पत्र में करना अनिवार्य होगा।
- 07- निविदा माह 30 जून 2023 तक मान्य रहेगी एवं कभी भी कय आदेश दिया जा सकता है।
- 08- कय समिति द्वारा अंतिम तिथि के 08 दिवस पश्चात निविदा खोली जावेगी, निविदा भेजने वाली फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहना चाहते हो, तो दोपहर 02 बजे महाविद्यालय में उपस्थित रह सकते है।
- 09- निविदा पास होने पर महाविद्यालय द्वारा भेजे गये कय आदेश के दिनांक से 15 दिवस में सामग्री भेजना अनिवार्य होगा अन्यथा कय आदेश स्वयमेव निरस्त माना जाकर अन्य फर्म को कय आदेश दिया जा सकेगा। कय संबध में जो भी विवाद होगा उसमें प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।
- 10- निविदा के भावपत्र में 01 रू. से कम का भाव स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 11- उपरोक्त दिये गये फार्मेट अनुसार ही भावपत्र प्रदान करें एवं देयक 03 प्रतियों में भेजें।
- 12- बैंक खाता क्रमांक एवं बैंक आय.एफ.एस.सी. कोड को बिल पर अवश्य अंकित करे। कय सामग्री का भुगतान ई-पेमेंट से संभव है।
- 13- स्टेशनरी सामग्री को बदलने का अधिकार प्राचार्य एवं कय समिति को रहेगा।
- 14- निःशुल्क स्टेशनरी सामग्री अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा बजट आबंटन प्राप्त होने पर ही कय की जावेगी।

  
 श्रीमती स्मिता वैद्य  
 ग्रंथपाल  
 शासकीय महाविद्यालय  
 धरमपुरी जिला धार

  
 डॉ. पी.एस. नर्गेश  
 प्राचार्य  
 शासकीय महाविद्यालय  
 धरमपुरी जिला धार